भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2848
गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अहमदाबाद विमानपत्तन पर विमानयात्रा किराए में वृद्धि

2848. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जैसे आयोजनों के दौरान अहमदाबाद विमानपत्तन पर उड़ानों के लिए किराए में होने वाली वृद्धि आम आदमी के लिए सुलभ विमानयात्रा सुनिश्चित करने की सरकार की जिम्मेदारी के साथ किस तरह मेल खाती है;

(ख) विमान किराए में उक्त वृद्धि किस तरह से आम आदमी, विशेषकर उन लोगों के लिए विमान-यात्रा की सुलभता को प्रभावित करती है जो उक्त विमानपत्तन पर चार्टर विमान सेवाओं के बजाय नियमित उड़ानों पर निर्भर हैं, और

(ग) सरकार का किस तरह से यह सुनिश्चित करने का विचार है कि ऐसी वृद्धि से आम यात्रियों, जिनमें व्यवसाय हेतु या अवकाश कालीन यात्रा करने वाले लोग भी शामिल हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): हवाई किराए गतिशील स्वरूप के होते हैं और वे माँग एवं आपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। भारत में हवाई किराए की कीमतों की प्रवृत्ति काफी हद तक सीजनैलिटी, ईंधन की प्रचलित कीमतें, उस मार्ग पर परिचालित विमान की क्षमता, उस सेक्टर पर प्रतिस्पर्धा, सीजन, छुट्टियां, त्योहार, लंबे सप्ताहांत, कार्यक्रम (खेल, मेले, प्रतिस्पर्धाएं) आदि को दर्शाती हैं। इसके अलावा, हवाई किराए का मूल्य निर्धारण हवाईअड्डों पर प्रचालन बाधाओं से काफी प्रभावित होता है। उच्च पर्यटक माँग वाले मार्ग, स्थान, मौसम संबंधी परिस्थितियों और सीमित प्रचालन घंटों के कारण होने वाली सीमितताओं के अधीन होते हैं। सीमित क्षमता और उच्च माँग के संयोजन से किराए में उतार-चढ़ाव होता है।

इसके अलावा, एयरलाइनों के साथ निरंतर सम्पर्क और सरकार द्वारा हवाई किराए की निगरानी के साथ, 2023 की तुलना में 2024 में हवाई किराए में कमी आई है। एयरलाइनों को हवाई किराए तय करते समय उचितता सुनिश्चित करने और यात्रियों के हितों को ध्यान में रखने के लिए भी संवेदनशील बनाया गया है। उल्लेखनीय रूप से, त्यौहारों के मौसम के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में हवाई किराए में कमी देखी गई।

अधिक विमान बेड़े को शामिल करके क्षमता में वृद्धि, हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण और नए हवाईअड्डों के विकास के साथ, घरेलू यात्री यातायात वर्ष 2022-23 में 136,028,656 की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 153,674,310 हो गया है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भी अक्टूबर तक घरेलू यात्री यातायात (93,002,510) तक पहुँच गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 87,995,187 के समकालीन आंकड़े को पार कर गया है, जो 5.7% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक टैरिफ निगरानी एकक (टीएमयू) की स्थापना की है, जो एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके मासिक आधार पर औचक रूप से चुनिंदा घरेलू क्षेत्रों पर हवाई किराए की निगरानी करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया न वसूलें।

एयरलाइनों के लिए अपनी वेबसाइट के होम पेज पर प्रमुख स्थान पर टैरिफ शीट प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

हवाई किराए सरकार के विनियमन के अधीन नहीं हैं और एयरलाइनों को वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए अपनी प्रचालन आवश्यकताओं के आधार पर अपने हवाई किराए निर्धारित करने की छूट है। यद्यपि सरकार आम तौर पर बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित करने से अलग रहती है, तथापि वह सतर्क रहती है और यात्रियों की सुविधा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक मूल्य निर्धारण को रोकने हेतु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्षमता स्थानांतरित करने के लिए हस्तक्षेप करती है।

भारतीय विमानन उद्योग की जटिल गतिशीलता को देखते हुए, सरकार इस क्षेत्र के विकास में सहायता करने के लिए सक्षमकारी वातावरण बनाने के माध्यम से एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा रही है।

******

******